भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **:** 1136

**04 दिसम्‍बर**, **2012** को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की अत्यधिक कमी**

**1136. श्री राजकुमार धूत:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी तथा महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी तथा महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)**

(क) से (ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए महाराष्ट्र सहित सरकारी अस्पतालों में बिस्तर क्षमताओं के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने मार्च, 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी थी जिसका लक्ष्य साधारतण: देश में वहनीय/विश्वस्नीय तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता के असंतुलनों में सुधार करना और अल्पसेवित राज्यों में उत्‍तम चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ावा देना और सामान्‍य रूप से इस योजना में बिहार (पटना), मध्य प्रदेश (भोपाल), उडीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर), छत्तीसगढ़ (रायपुर) और उत्तराखंड़ (ऋषिकेश) में एक-एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करते हुए कुल छह संस्थान स्थापित करने और मौजूदा 13 मेडिकल संस्थानों का उन्नयन करने का विचार है।

 जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात्, सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज का संबंध है, इन अस्पतालों में बिस्तर पर्याप्त संख्या में हैं।

 इन अस्पतालों का उन्नयन और विकास करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

-----------